25/11/15

पत्रावली पेश हुई। दावा वादी डिक्री किया जा
है बिन्दुवार निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर घोषणा
पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत पूर्ण
होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो
आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

...खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मन्दिर कल्याण राय जी राजमहलो के सामने चौबेपाडा करौली तहसील व जिला करोली जरिये अहतमाम पुजारी नैक्सट फ्रैण्ड सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जाति ब्राहमण निवासी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली

--वादी

बनाम

1. चतरू पुत्र लालजी आयु ....साल जाति कोली निवासी मण्डरायल रोड करौली तहसील व जिला करौली
2. घसीडा पुत्र रघुनाथ जाति कोली आयु 45 साल निवासी पांचना कॉलोनी के पीछे कोली बस्ती करौली तहसील व जिला करौली
3. श्यामलाल पुत्र रघुनाथ आयु 43 साल जाति कोली निवासी पांचना कॉलोनी के पीछे कोली बस्ती करौली तहसील व जिला करौली
4. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील करौली तहसील करौली

--प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, किये जाने इन्द्राज खातेदारी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 35/12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोके**... मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री बाबू लाल शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व ... दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादी मंदिर को आराजी खसरा नंबर 8253, 8254 कुल कित... कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वांके कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर–10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता ... । प्रतिवादी नंबर 4 को आदेश दिये जाते है कि वह वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 ... नाम से हजफ कर वादी मंदिर ठाकुरजी कल्याणरायजी विराजमान राजमहलों के सामने चौबे पाडा करौली के नाम ... खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में रूकावट नहीं करें एवं भूमि को दीगर व्यक्तियों को हस्तांन्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो।

... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे ... मेज .... मुबलिग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... य सूद निज बगरह .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/11/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
मुदई			मुद्दायलह		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—35/12 तारीख रजु:—19.03.2012

उनवान

ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मन्दिर कल्याण राय जी राजमहलो के सामने चौबेपाडा करौली तहसील व जिला करोली जरिये अहतमाम पुजारी नैक्सट फ्रैण्ड सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जाति ब्राहमण निवासी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करौली

—–वादी

बनाम

1. चतरू [illegible] आयु ....साल जाति कोली निवासी मण्डरायल रोड करौली तहसील [illegible] करौली
2. घसीडा पुत्र रघुनाथ जाति कोली आयु 45 साल निवासी पांचना कॉलोनी के पीछे कोली बस्ती करौली तहसील व जिला करौली
3. श्यामलाल पुत्र रघुनाथ आयु 43 साल जाति कोली निवासी पांचना कॉलोनी के पीछे कोली बस्ती करौली तहसील व जिला करौली
4. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील करौली तहसील करौली

—–प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा, किये जाने इन्द्राज खातेदारी एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

—::निर्णय::— दिनांक:— 25/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा नम्बर 8253 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा बारानी ए व खसरा नम्बर 8254 रकवा 1 बीघा 07 विस्वा बारानी एवं कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 4 स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 10 वादी ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मन्दिर कस्बा करौली की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। ठाकुर जी कल्याण राय जी द्वारा उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण को, बुधा पुत्र भाग्या तेली को विधी की किसी भी रीति से हस्तान्तरण नहीं किया है। कोई हस्तान्तरण पत्र विधीवत पंजीयन नहीं करवाया गया है। ठाकुर जी कल्याणराय

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जी के पुजारी व व्यवथापक छीतरराम, कल्याण प्रसाद पितामह सतीश कुमार द्वारा भी विधि की किसी भी रीती से प्रतिवादीगण व बुधा पुत्र भाग्या तेली के हक में हस्तान्तरण पत्र पंजीयन नहीं कराया है। ठाकुर जी कल्याणराय जी शास्वत नावालिग है जिसकी भूमि जिला न्यायालय की इजाजत के बिना हस्तान्तरण नहीं हो सकती हे। इस प्रकार बुधा पुत्र भाग्या तेली निवासी करौली एवं प्रतिवादीगण के हक में हो रहे जमाबंदी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याा राय जी के हक हकूक खातदेारी अधिकार पर प्रभावहीन व शून्य है। वादी पर बाध्यकारी नहीं है। वादी उक्त आराजीयात के खातेदारी इनद्राज ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान राजमहलों को सामने चौबेपाडा करौली के हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी हें। प्रतिवादीगण यह भली भांति जानते हैं कि वादग्रस्त भूमि ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान मन्दिर मन्दिर राजमहलों के सामने चौबे पाडा करोली की खातेदारी की हैं और लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) करौली की भी पूर्ण जानकारी व ज्ञान में हैं। ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि के सम्बन्ध में बुधा पुत्र भाग्या तेली एवं प्रतिवादीगण के हक में खातेदार इन्द्राज विधी अनुसार नहीं हो सकते हैं और प्रतिवादीगण विधिकतौर पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि पर किसी मनुष्य को काश्त करने मात्र से खातेदारी अधिकार विधिकतौर पर प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार का यह जानकारी होते हुए भी की भूमि के खातेदार ठाकुर जी कल्याण राय जी है फिर भी प्रतिवादीगण के विरूद्व रैफ्रेन्स कार्यवाही जानबूझकर नहीं की है जबकि प्रतिवादी नं0 4 लैण्ड होल्डर को विधिक दायित्व था कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के हक में व बुधा पुत्र भाग्या तेली के हक में हुए कृषक के तौर पर इन्द्राज बिला आधार है अनाधिकार है हक हकूक वादी पर प्रभावहीन व शून्य है। वादी विवादग्रस्त आराजीयात की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण के हक में अनाधिकार तौर पर राजस्व रिकार्ड में हो रहे कृषक इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण के दिमाग में बदयान्ति आ रही है और वादग्रस्त भूमि को मोटी रकम लेकर विक्रय करने पर उतारू हो रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने भू माफीयाओं से बातचीत प्रारम्भ कर दी है और पैसों के बल पर भूमि विक्रय कराकर भूमि अकृषि में परिवर्तित कराकर आवासीय उपयोग मे लेने पर भूमि को नष्ट करने पर हस्तान्तरण करने पर ठाकुर जी कल्याणराय जी को नाजायज नुकसान पहूंचाने को उतारू है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही होने पर वादी ने दिनांक 11.3.2012 के दिवस प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 से वादग्रस्त भूमि ठाकुर कल्याण राय जी की भूमि की बेचान नहीं करने हस्तान्तरण नहीं करने को बेचान हस्तान्तरण व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पत्र पंजीकृत नहीं कराने को भूमि को अकृषि उपयोग में परिवर्तित नही करने को कहा तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम भूमि बेचान करके रहेगें और ऐसे भू माफीया व्यक्ति को बेचान करेंगें कि आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पोयेगे। प्रतिवादीगण की उक्त कार्यवाही से हक हकूक वादी पर भारी आघात होगा वादी को अपूरणीय क्षतित होगी तथा ठाकुर जी के राग भोग, सेवा पूजा की व्यवस्था प्रभावित होगी। ठाकुर जी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें ठाकुर जी की भूमि जनहित में होती हैं ठाकुर जी के हित व कल्याण को देखते हुए न्यायालय द्वारा वादी वादी के हक में एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन करा देगे। मन्दिर को भूमि लाभ नहीं लेने देगें। जिससे मन्दिर वादी के हक हकूक खातदेारी पर भारी आघात होगा अपूरणीय क्षति होगी एवं वेजा मुकदमेवाजी होगी। वादी सतीश मन्दिर ठाकुर जी का पूजारी हैं, ठाकुर जी के राग भोग की व्यवस्था करता हैं तथा मन्दिर ठाकुर जी का हित चिन्तक हैं वादी को वाद दायर करने का विधिक अधिकार हैं। विनाय मुखास्मत दिनांक 11.3.2012 के दिवस वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि को हस्तान्तरण नहीं करने को, हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन नहीं कराने का कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने ऐलानिया भूमि हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन कराने की भूमि को अकृषि उपयोग में परिवर्तित कराने की ऐलानिया धमकी दी हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध तौर पर खातदेारी इन्द्राज करा लेने से बदनीयती आयी है। इसलिये वादी को यह प्रस्तुत करने का वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदय हुआ है। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत दावा वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 2 व 3 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ठाकुर कल्याण रायजी का मन्दिर स्थित है न ही आराजीयात खसरा नम्बरान 8253, 8254 ठाकुर जी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। ठाकुर कल्याण रायजी का कोई मन्दिर स्थित ही नहीं है तो प्रति–वादीगण को व बुधा पुत्र मांग्या तेली को

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:16 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार आराजीयात का हस्तान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं होता है आराजीयात बुद्धा तेली की खातेदारी की है जब मन्दिर ही नहीं है तो मन्दिर के व्यवस्थापक छीतरलाल कल्याण प्रसाद का होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो यह हस्तान्तरण कराने के किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है बुद्धा पुत्र मांग्या तेली के हक में आराजीयात के इन्द्राजात है अर्थात बुद्धा खातेदार काश्तकार था इसलिये उसके अधिकारों पर मन्दिर के कोई हक हकूक प्रभाव नही है वादी कोई भी खातेदारी घोषणा कराने का व खातेदारी इन्द्राज कराने का अधिकारी नहीं हैं। वादी का आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये वादी को दावा लाने का कोई असिस्टेन्डाई नहीं है इस बिना पर दावा वादी चलने योग्य नहीं हैं खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादीगण ये जानते है कि न तो कोई मन्दिर कल्याण रायजी का है तथा न आराजीयात ठाकुरजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है बल्कि सही बात यह है कि आरजी बुद्धा तेली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है और बुद्धा के हक में खातेदारी विधिवत दर्ज हुई है तहसीलदार को प्रतिवादीगण की खातेदारी को रेफरेन्स करने का कोई हक हासिल नहीं है वादी कोई भी खातेदारी की घोषणा कराकर अपने नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी नहीं है दावा वादी खारिज होने योग्य हैं। प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसे हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का हक प्रतिवादीगण को हासिल है। दिनांक 11/3/12 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 से कोई बेचान बावत नहीं कहां सारी बात मनगढंत एवं झूठी है ठाकुरजी है ही नही तो पूजा सेवा प्रभावित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हें वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई भी स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी पाने के अधिकारी नहीं हैं। आराजीयात मुतदाविया का ठाकुरजी से कोई हक व सम्बन्ध ही नहीं है इसलिये तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई सतीश का मन्दिर से कोई सम्बन्ध ही नहीं है न कोई मंदिर अस्तित्व में हे इसलिये सतीश को दावा दायर करने का कोई अधिकार लोकस स्टेन्डाई नहीं होने से दावा वादी चलने योग्य नहीं है खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये हैः—

1. आया वादग्रस्त आराजी खं0नं0 8253, 8254 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का न0 10 तह0 करौली वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी मंदिर अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Preeti Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:20:16 IST
Reason: SelfAttested

–वादी

2. आया वादी मंदिर वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।

–वादी

3. आया दावा वादी म्याद बाहर है।

–प्रतिवादीगण

4. आया दावा वादी बिना भूखण्ड केतागण को पक्षकारान बनाये वगेर चलने योग्य हैं।

–प्रतिवादीगण

5. अनुतोषः–

Digitally signed by Preeti Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी सतीश कुमार शर्मा एवं गवाह पुरूषोत्तम लाल के बयान शपथ पर किये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 व नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–2 पेश की है। साक्ष्य वादीगण बंद की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 18.9.2025 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजीयात खसरा नम्बर 8253 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा बारानी–ए व खसरा नम्बर 8254 रकवा 1 बीघा 07 विस्वा बारानी एवं कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 4 स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 10 वादी ठाकुर जी कल्याण राय जी विराजमान मन्दिर कस्बा करौली की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। ठाकुर जी कल्याण राय जी द्वारा उक्त आराजीयात को प्रतिवादीगण को, बुधा पुत्र भाग्या तेली को विधि की किसी भी रीति से हस्तान्तरण नहीं किया है। कोई हस्तान्तरण पत्र विधिवत पंजीयन नहीं करवाया गया है। ठाकुर जी कल्याणराय जी के पुजारी व व्यवथापक छीतरराम, कल्याण प्रसाद पितामह सतीश कुमार द्वारा भी विधि की किसी भी रीति से प्रतिवादीगण व बुधा पुत्र भाग्या तेली के हक में हस्तान्तरण पत्र पंजीयन नहीं कराया है। ठाकुर जी कल्याणराय जी शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि जिला न्यायालय की इजाजत के बिना हस्तान्तरण नहीं हो सकती हे। इस प्रकार बुधा पुत्र भाग्या तेली निवासी करौली एवं प्रतिवादीगण के हक में हो रहे जमाबंदी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याा राय जी के हक हकूक खातदोरी अधिकार पर प्रभावहीन व शून्य है। वादी पर बाध्यकारी नहीं है। वादी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

आराजीयात के खातेदारी इन्द्राज ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान राजमहलों को सामने चौबेपाडा करौली के हक में खातेदारी घोषणा कराने के एवं राजस्व रिकार्ड ऑफ राईटस जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज कराने के विधिक तौर पर अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि ठाकुर जी कल्याणराय जी विराजमान मन्दिर मन्दिर कल्याणराय जी राजमहलों के सामने चौबेपाडा करोली की खातेदारी की हैं और लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) करौली की भी पूर्ण जानकारी व ज्ञान में हैं। ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि के सम्बन्ध में बुधा पुत्र भाग्या तेली एवं प्रतिवादीगण के हक में खातेदार इन्द्राज विधी अनुसार नहीं हो सकते हैं और प्रतिवादीगण विधिकतौर पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है। ठाकुर जी कल्याणराय जी की भूमि पर किसी मनुष्य को काश्त करने मात्र से खातेदारी अधिकार विधिकतौर पर प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार का यह जानकारी होते हुए भी की भूमि के खातेदार ठाकुर जी कल्याण राय जी है फिर भी प्रतिवादीगण के विरूद्व रैफ्रेन्स कार्यवाही जानबूझकर नहीं की है जबकि प्रतिवादी नं0 4 लैण्ड होल्डर को विधिक दायित्व था कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के हक में व बुधा पुत्र भाग्या तेली के हक में हुए कृषक के तौर पर इन्द्राज बिला आधार है अनाधिकार है हक हकूक वादी पर प्रभावहीन व शून्य है। वादी विवादग्रस्त आराजीयात की अपने हक में खातेदारी घोषणा कराने एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण के हक में अनाधिकार तौर पर राजस्व रिकार्ड में हो रहे कृषक इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण के दिमाग में बदयान्ति आ रही है और वादग्रस्त भूमि को मोटी रकम लेकर विक्रय करने पर उतारू हो रहे हैं। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने भू माफीयाओं से बातचीत प्रारम्भ कर दी है और पैसों के बल पर भूमि विक्रय कराकर भूमि अकृषि में परिवर्तित कराकर आवासीय उपयोग मे लेने पर भूमि को नष्ट करने पर हस्तान्तरण करने पर ठाकुर जी कल्याणराय जी को नाजायज नुकसान पहूंचाने को उतारू है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही होने पर वादी ने दिनांक 11.3.2012 के दिवस प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 से वादग्रस्त भूमि ठाकुर कल्याण राय जी की भूमि की बेचान नहीं करने हस्तान्तरण नहीं करने को बेचान हस्तान्तरण व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण पत्र पंजीकृत नहीं कराने को भूमि को अकृषि उपयोग में परिवर्तित नही करने को कहा तब प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हम भूमि बेचान करके रहेगें और ऐसे भू माफीया व्यक्ति को बेचान करेंगें कि आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पोयेगे। प्रतिवादीगण की उक्त कार्यवाही से हक हकूक वादी पर भारी आघात होगा वादी को अपूरणीय क्षतित

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

होगी होगी ठाकुर जी के राग भोग, सेवा पूजा की व्यवस्था प्रभावित होगी। ठाकुर जी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगें ठाकुर जी की भूमि जनहित भूमि होती हैं ठाकुर जी के हित व कल्याण को देखते हुए न्यायालय द्वारा ही ठाकुर जी वादी के हक में एवम् प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी का बहस में कथन है कि ठाकुर कल्याण रायजी का मन्दिर स्थित है न ही आराजीयात खसरा नम्बरान 8253, 8254 ठाकुर जी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। ठाकुर कल्याण रायजी का कोई मन्दिर स्थित ही नहीं है तो प्रति–वादीगण को व बुधा पुत्र मांग्या तेली को किसी प्रकार आराजीयात का हस्तान्तरण करने का प्रश्न ही नहीं होता हे आराजीयात बुद्धा तेली खातेदारी की है जब मन्दिर ही नहीं है तो मन्दिर के व्यवस्थापक [illegible] प्रसाद का होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तो यह हस्तान्तरण करने के किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं है बुद्वा पुत्र मांग्या तेली के हक में आराजीयात के इनद्राजात है अर्थात बुद्वा खातेदार काश्तकार था इसलिये उसके अधिकारों पर मन्दिर के कोई हक हकूक प्रभाव नही है वादी कोई भी खातेदारी घोषणा कराने का व खातेदारी इन्द्राज कराने का अधिकारी नहीं हैं। वादी का आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये वादी को दावा लाने का कोई असिस्टेन्डाई नहीं है इस बिना पर दावा वादी चलने योग्य नही हैं खारिज होने योग्य हैं। मन्दिर कल्याण रायजी का है तथा न आराजीयात ठाकुरजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है बल्कि सही बात यह है कि आरजी बुद्वा तेली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है और बुद्वा के हक में खातेदारी विधि अनुसार हुई है तहसीलदार को प्रतिवादीगण की खातेदारी को रेफ्रेन्स करने का कोई हक हासिल नहीं है वादी कोई भी खातेदारी की घोषणा कराकर अपने नाम इन्द्राज कराने का अधिकारी नहीं है दावा वादी खारिज होने योग्य हैं। आराजीयात मुन्दजे वाद पत्र पैरा नं0 1 प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसे हर प्रकार से हस्तान्तरण करने का हक प्रतिवादीगण को हासिल है। दिनांक 11/3/12 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 से कोई बेचान बावत नहीं कहां सारी बात मनगढंत एवं झूठी है ठाकुरजी है ही नही तो पूजा सेवा प्रभावित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हें वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई भी स्थायी निषेधाज्ञा की दादरसी पाने के अधिकारी नहीं हैं। दावा वादी खारिज किये जाने का कथन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉड व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकी वार निर्णय किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 01 के संबंध में वादी द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 प्रस्तुत किये है। जिसके कॉलम नंबर 3 में वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री कल्याण राय जी पुजारी छीतरराम वगै0 मजकूर दर्ज है एवं कॉलम नंबर 4 में भूमि वादग्रस्त बुधा पुत्र मान्या कौम तेली सा.देह दर्ज है। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी को माफी मंदिर की होना बताया है। इसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श–1 से भूमि माफी मंदिर श्री कल्याण रायजी की खातेदारी व कब्जे की होना प्रकट है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादी पर है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादी मंदिर वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया गया है। वादी मंदिर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 व 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इन विवाद्याकों के संबंध में कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये है। प्रतिवादीगण विवाद्यक संख्या 3 व 4

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:30:16 IST
Reason: Self Attested

को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादग्रस्त आराजीयात जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 से वादी मंदिर की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना एवं वादी का खातेदार काश्तकार होना साबित है। दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी मंदिर को आराजी खसरा नंबर 8253, 8254 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा करौली पटवार हल्का नंबर–10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 4 को आदेश दिये जाते है कि वह वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 के नाम से हजफ कर वादी मंदिर ठाकुरजी कल्याणरायजी विराजमान राजमहलों के सामने चौबे पाडा करौली के नाम खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अमल करें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में रूकावट नहीं करें एवं भूमि को दीगर व्यक्तियों को हस्तांन्तरण नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:00:16 IST
Reason: SelfAttested